रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2009/माघ 21, 1930
No. 77] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2009/MAGHA 21, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 88(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) में,–

(i) खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (छ), खण्ड (ज) और खण्ड (झ) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) कोई सेवा निवृत्त राष्ट्रपति, ऐसे सचिवीय कर्मचारिवृंद का हकदार होगा जिसमें एक निजी सचिव, एक अपर निजी सचिव, एक निजी सहायक और दो चपरासी होंगे और ऐसे सचिवीय कर्मचारिवृंद के अनुरक्षण के लिए उसके द्वारा उपगत वास्तविक प्रभार संदत्त किए जाएंगे;

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 60,000 रु. (साठ हजार रुपये केवल) से अनधिक राशि प्रत्येक सेवा निवृत्त राष्ट्रपति को कार्यालय व्यय के मद्दे उसके द्वारा उपगत वास्तविक प्रभारों के लिए संदत्त की जाएगी;

(छ) कोई सेवा निवृत्त राष्ट्रपति, अपने निवास पर दो टेलीफोन (एक इंटरनेट और ब्राडबैंड जोड़ने के लिए), राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा के साथ एक मोबाइल फोन और एक मोटरकार के मुफ्त उपयोग का हकदार होगा और उसके अनुरक्षण के लिए उसके द्वारा उपगत वास्तविक प्रभार संदत्त किया जाएगा;

(ज) कार्यकाल के दौरान या पद त्याग के पश्चात् राष्ट्रपति की मृत्यु की दशा में जीवित पति या पत्नी शेष जीवन के लिए जल और विद्युत प्रभारों के संदाय के बिना पति या पत्नी के विकल्प पर अनुज्ञप्ति फीस के संदाय के बिना भारत में कहीं भी सुसज्जित निवास के उपयोग का हकदार होगा;

(झ) ऐसे स्थानों पर जहां पति या पत्नी को सरकारी स्वामित्व की वास सुविधा आबंटित की जाती है वहां आवास का वर्ग टाइप–VIII होगा और यदि किसी विशिष्ट स्थान पर उपलब्ध सरकारी स्वामित्व की वास सुविधा का उच्चतम टाइप–VIII आकार में छोटा है तो उस स्थान पर उपलब्ध वास सुविधा की उच्चतम टाइप पति या पत्नी को आबंटित की जाएगी ।;"

(ii) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(ढ) मृतक राष्ट्रपति का जीवित पति या पत्नी ऐसे सचिवीय कर्मचारिवृंद का हकदार होगा जिसमें एक प्राइवेट सचिव और एक चपरासी अंतर्विष्ट होगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्यालय व्ययों

के मद्दे उसके द्वारा उपगत वास्तविक प्रभार के लिए 12,000 रुपये (बारह हजार रुपये केवल) से अनधिक राशि संदत्त की जाएगी;

(ण) मृतक राष्ट्रपति का जीवित पति या पत्नी अपने निवास पर एक टेलिफोन और एक मोटरकार के मुफ्त उपयोग का हकदार होगा और इसके अनुरक्षण के लिए पति या पत्नी द्वारा उपगत वास्तविक प्रभार संदत्त किया जाएगा;

परंतु पति या पत्नी अपना निजी मोटरकार उपयोग कर सकता है जिसके बदले में प्रत्येक मास उसे भारत सरकार में चालक का पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिए समय-समय पर अनुज्ञेय वेतन की रकम के साथ 250 लीटर पैट्रोल की लागत के समान कार भत्ता दिया जाएगा;

(त) मृतक राष्ट्रपति का जीवित पति या पत्नी एक कलैंडर वर्ष में वायुयान, रेल या स्टीमर के उच्चतम दर्जे द्वारा एक साथी या नातेदार के साथ भारत में कहीं भी बारह एकल यात्रा करने का हकदार होगा ।"

(iii) उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(3) सचिवीय कर्मचारिवृंद और कार्यालय व्ययों के अनुरक्षण के लिए यथास्थिति सेवानिवृत्त राष्ट्रपति या मृतक राष्ट्रपति के जीवित पति या पत्नी द्वारा अपेक्षित राशि जब कभी अपेक्षित हो साधारण रसीद के रूप में निकाली जाएगी ।

(4) प्रत्येक वर्ष के अंत में इस आशय का प्रमाणपत्र कि निकाली गई राशि का व्यय उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह निकाली गई थी, दिया जाएगा–

(i) प्ररूप-1 में यथास्थिति, सेवानिवृत्त राष्ट्रपति या मृतक राष्ट्रपति के जीवित पति या पत्नी द्वारा; या

(ii) इन नियमों से संलग्न प्ररूप-1क में इस निमित्त यथास्थिति सेवानिवृत्त राष्ट्रपति या मृतक राष्ट्रपति के जीवित पति या पत्नी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(क) चिकित्सा परिचर या नियमित चिकित्सा परिचर द्वारा;

(ख) रात-दिन आवश्यकता और प्रतिष्ठित व्यक्ति से प्राप्त अनुरोध के आधार पर उससे जुड़े निजी चिकित्सक द्वारा;

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन न आने वाले किसी विशेषज्ञ या चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ।"

[फा. सं. 10/19/96-एम एंड जी]

निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1328(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. 13/1/67-पब-1 तारीख 29-8-1967, सं. 13/6/68-पब-1 तारीख 9-10-1968, सं. 13/6/68-पब-1 तारीख 8-1-1969, सं. 1/3/76 स्टेट्स तारीख 28-2-1977, सा.का.नि. 613(अ) तारीख 9-4-1986, सा.का.नि. 676(अ) तारीख 30-7-1990, सा.का.नि. 661 तारीख 11-8-2000 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2009

G.S.R. 88(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the President's Emoluments and Pension Act, 1951 (30 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the President's Pension Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the President's Pension (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the President's Pension Rules, 1962, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (1),—

(i) for clauses (a), (b), (g), (h) and (i), the following clauses shall, respectively, be substituted, namely :—

"(a) A retired President shall be entitled to secretarial staff consisting of a Private Secretary, an Additional Private Secretary, a Personal Assistant and two Peons and shall be paid actual charge incurred by him for the maintenance of such secretarial staff;

(b) during each financial year, an amount not exceeding Rs. 60,000 (Rupees sixty thousand only) shall be paid to every retire President towards the actual charges incurred by him on account of office expenses;

(g) a retired President shall be entitled to the use of two telephones (one for internet and broadband connectivity) at his residence, one mobile phone with national roaming facility and a motor car, free of charge and shall be paid actual charges incurred by him on the maintenance thereof;

(h) in the event of the death of a President in harness or after demitting office, the surviving spouse shall be entitled, without

payment of licence fee, to the use of furnished residence anywhere in India at the choice of the spouse, without payment of water and electricity charges for the remainder life;

(i) at places where Government owned accommodation is allotted to the spouse, the class of accommodation shall be Type VIII and if the highest type of Government owned accommodation available at a particular place is smaller in size, the highest type of accommodation available at the place shall be allotted to the spouse.";

(ii) after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(n) the surviving spouse of a deceased President shall be entitled to secretarial staff consisting of a Private Secretary and a Peon and shall be paid in each financial year an amount not exceeding Rs. 12,000 (Rupees twelve thousand only) towards the actual charges incurred by him on account of office expenses;

(o) the surviving spouse of a deceased President shall be entitled to the use of a telephone at his residence and a motor car, free of charge and shall be paid actual charges incurred by the spouse on the maintenance thereof :

Provided that the spouse may use his own motor car in lieu of which he shall be paid, every month, car allowance equal to the cost of 250 litres of petrol plus amount of salary admissible to a person, from time to time, holding the post of a Driver in the Government of India;

(p) the surviving spouse of a deceased President shall be entitled to travel anywhere in India, in a calendar year to twelve single journeys, by the highest class, by air, rail or steamer, accompanied by a companion or a relative.".

(iii) for sub-rules (3) and (4); the following sub-rules shall, respectively, be substituted, namely :—

"(3) The amount required by the retired President or the surviving spouse of a deceased President, as the case cay be, for the maintenance of secretarial staff and the office expenses shall be drawn in the form of simple receipt as and when required.

(4) At the end of each year, a certificate to the effect that the amount drawn has been expended for the purpose for which it had been drawn, shall be given—

(i) by the rertired President or the surviving spouse of a deceased President, as the case may be in Form-I; or

(ii) by any person authorised by the retired President or the slurviving spouse of a deceased President, as the case may be, in this behalf in form-IA, appended to these rules.".

3. In the said rules, in rule 4, in sub-rule (1), for clauses (a) and (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) by a medical attendant or the regular medical attendant;

(b) by a round the clock personal physician attached to him based on need and request received from the dignitary; and

(c) by a specialist or medical practitioner not falling under clause (a) or (b) :".

[F. No. 10/19/96-M&G]

NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number G.S.R. 1328, dated 1st October, 1962 and subsequently amended *vide* Notification No. 13/1/67-Pub.I dated 29-08-1967, No. 13/6/68-Pub.I dated 9-10-1968, No. 13/6/68-Pub.I dated 8-1-1969, No. 1/3/76-States dated 28-02-1977, No. G.S.R. 613(E), dated 09-04-1986, No. G.S.R- 676(E) dated 30-07-1990, G.S.R. 661 dated 11-08-2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 89(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 (1997 का 30) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपराष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं (संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उपराष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं नियम, 1999 (जिसें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) कोई सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति, ऐसे सचिवीय कर्मचारिवृंद का हकदार होगा जिसमें एक निजी सचिव, एक अपर निजी सचिव, एक निजी सहायक और दो चपरासी होंगे और ऐसे सचिवीय कर्मचारिवृंद के अनुरक्षण के लिए उसके द्वारा उपगत वास्तविक प्रभार संदत्त किए जाएंगे;

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 60,000 रु. (साठ

"(ढ) मृतक राष्ट्रपति का जीवित पति या पत्नी ऐसे सचिवीय कर्मचारिवृंद का हकदार होगा जिसमें एक प्राइवेट सचिव और एक चपरासी अंतर्विष्ट होगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्यालय व्ययों के मद्दे उसके द्वारा उपगत वास्तविक प्रभार के लिए 20000 रुपए (वीस हजार रुपए केवल) से अनधिक राशि संदत्त की जाएगी"।

[फा.सं. 1/1/2016-एमएंडजी]

एम. के. शाही, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1328, तारीख 1 अक्तूबर, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए:-

(i) सं. 13/1/67-प्रका. I, तारीख 28.8.1967

(ii) सं. 13/6/68-प्रका. I, तारीख 9.10.1968

(iii) सं. 13/6/68-प्रका. I, तारीख 8.01.1969

(iv) सं. 1/3/76 राज्य, तारीख 28.02.1977

(v) सा.का.नि. सं. 613(अ), तारीख 09.04.1986

(vi) सा.का.नि. सं. 676(अ), तारीख 30.7.1990

(vii) सा.का.नि. सं. 661, तारीख 11.8.2000 और

(viii) सा.का.नि. सं. 88(अ), तारीख 10.2.2009